

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में  
प्रकाशनार्थ]  
भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

## शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी, 2019

सा.का.नि. (अ) - भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 27/2018- एकीकृत कर (दर), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1266(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में (i) पृष्ठ 19 पर, पंक्ति 5 में, "32" के स्थान पर "34" पढ़ें।

[फा.सं.354/432/2018-टीआरयू (पार्ट)]

(गुंजन कुमार वर्मा)  
अवर सचिव, भारत सरकार